



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली सत्र 2025-26

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते हैं।
 - (ii) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के **Samarth Admission Portal** के माध्यम से ही किये जायेंगे **एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होंगे।** (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बी०बी०ए०, बी०सी०ए० एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
 - (iii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
 - (iv) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम० आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।
 - (v) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
 3. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु० 400/- तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे- एल-एल०बी०, बी०पी०एड०, बी०एड०, एम०एड०, एल०एल०एम०, आदि) के लिए भी रु० 400/- होगा तथा अभ्यर्थी केवल एक बार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।**
 - (ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(iii) सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश **Samarth Admission Portal** (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः

(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आईडी0 से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण/निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फॉर्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है। संस्थान/महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो **Samarth Admission Portal** की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भाँति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग **OTP** द्वारा **Admit** प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय **Samarth** की **Admin Login Id** पर जाकर अभ्यर्थी की सीट **Confirm** भी करेंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ) (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "**Prospectus**" तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य **₹0 400/-** होगा।
(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क **₹0 10/-** के स्थान पर **₹0 25/-** लिये जाने की संस्तुति की गयी।
(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र **2025-2026** के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।
(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2. (अ) सत्र 2025-26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा ₹0 300/- नामांकन शुल्क व ₹0 300/- उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय ₹0 50/- सांस्कृतिक शुल्क, ₹0 100/- क्रीड़ा शुल्क व ₹0 100/- Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेंगे। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेंगे।
- (ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

नोट:-सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।

- (स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अन्तर्गत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए ₹0 300/-का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होंगे।
- (द) (i) बीएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।
- (iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (र) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।
- (व) एम0एससी0(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA
उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट मान्य होगी।

- (श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एमएससी (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

- (श) एमएससी में प्रवेश हेतु बीएससी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

- (ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगी:-

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2025
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 जून, 2025
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 जुलाई, 2025
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा माओकुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0-2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
(स) नई शिक्षा नीति-2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।
(द) नई शिक्षा नीति-2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।
(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।
(र) एन0ई0पी0-2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0-2020 के अनुसार अनुमान्य होंगे।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

- (ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

- (i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

- (ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे:-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

- (1) बीएससी (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (2) बीएससी (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (4) बीएससी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण
- (6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

- (ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस०सी० (कृषि)/बी०एस०सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी।
उ०प्र० बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइंट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

h

पुन

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-

- (i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडियट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।
- (ii) निर्धारित मेरिट के अन्तर्गत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते हैं तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।
- (iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्कीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
- (ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रानुसार।
- (iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोट:- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

- (iv) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षाएँ:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ :-

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षाएँ:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षाएँ:-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षाएँ:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएँ:

- उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
- एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।
अथवा
एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।
अथवा
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक।
भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
- स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक।
- बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:

- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक।
- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
- एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।
अथवा
एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक।
अथवा
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। -3 अंक।
- एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए -5 अंक।
- महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। -3 अंक।

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

- (क) प्रथम विजेता होने के लिए
 (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए
 (ग) तृतीय विजेता होने के लिए
 (घ) प्रतिभाग करने के लिए

— 5 अंक।
 — 4 अंक।
 — 3 अंक।
 — 2 अंक।

नोट:—उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) सभी कक्षाएँ:

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।—
—17 अंक।
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।
—10 अंक।
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।
—17 अंक।

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
 2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
 3. उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।
8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हों और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
 (ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होंगे।
 (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 (द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
 9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
 (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
 (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
 (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सार्मक करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।


कुलसचिव




कुलपति